संख्याः पीसीएच–एचए (1)10–2008–।।।–परिवार रजिस्टर–1422

पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में

जिला पंचायत अधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

शिमला–9, दिनांक 18–6–2016

विषय.—ग्राम पंचायत परिवार रजिस्टर भाग–1 में नाम इन्द्राज करने हेतु मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश प्रदान करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं01820 दिनांक 3 जून, 2016 के सन्दर्भ में, आपको सूचित किया जाता है कि नेपाली मूल के व्यक्ति के मामले को विभाग के दिशानिर्देश दिनांक 12 जनवरी, 2015, 15 नवम्बर, 2014, 4 फरवरी, 2014 तथा 9 मई, 2013 (प्रतियां संलग्न) अनुसार मामले का परीक्षण करें। तथापि, भारत में 26 जनवरी, 1950 को व इसके उपरान्त, परन्तु 1 जुलाई, 1987 से पूर्व जन्म की अवधि के साथ–2 अन्य उपबन्ध भारतीय नागरिकता के लिए उपरोक्त संलग्न पत्रों अनुसार मामले में निर्णायक मानी गई है। केवल शपथ–पत्र के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है।

भवदीय
हस्ताक्षरित/–
संयुक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.